भाग चार : खण्ड 3

[1]अनुसूचित जनजाति तथा वन में परम्परा से रहने वाले वनवासियों के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006

(क्र. 2 वर्ष 2007)

वन में रह रहे अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा वन में परम्परा से रहने वाले अन्य व्यक्तियों को, जो वन में पीढ़ियों से रह रहे हैं तथा वन भूमि पर कब्जा किये हुए हैं, परन्तु उनके अधिकार कभी भी अभिलिखित नहीं किये गये। उनके वन भूमि के अधिकारों को अभिलिखित करने, और उनको प्रदाय करने हेतु, किस साक्ष्य की आवश्यकता होगी और ये अधिकार किस प्रकार मान्य तथा प्रदाय किये जावेंगे, यह निर्धारण करने तथा उनके अधिकारों को मान्यता देने व अधिकार देने हेतु अधिनियम।

जबकि वनों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा वन में परम्परा से रहने वाले अन्य व्यक्तियों को वन में रहने का अधिकार प्रदाय करने से उनकी वन भूमि को लगातार उपयोग करने का दायित्व तथा अधिकार प्राप्त होता है उसके साथ उनकी वन जैविक विभिन्नता वाले पशु तथा पौधे तथा पर्यावरण संतुलन का संरक्षण तथा सुरक्षा का दायित्व भी आवेगा, जो वन के संरक्षण क्षेत्र की वृद्धि करेगी तथा वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा वन में परम्परागत रहने वाले अन्य व्यक्तियों की रहने की तथा भोजन की सुरक्षा करेगा।

और जबकि राजाओं के राज्यकाल में तथा बाद में स्वतन्त्रता के पश्चात् भी राज्य के वनों के पुर्नगठन के समय, वन में पीढ़ियों से रह रहे अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों के उनकी पीढ़ियों से कब्जे की वन भूमि के अधिकारों को समुचित मान्यता नहीं दी गई जिससे वनवासियों के साथ एतिहासिक अन्याय हुआ जबकि वे वन की इको सिस्टम को बचाने तथा लगातार बने रहने के एक अंग है। और अब वन में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परम्परागत वन में रहने वाले व्यक्तियों को तथा उनको, जिन्हें राज्य के विकास कार्यों हेतु अपने रहने के स्थान को जबरदस्ती छोड़ना पड़ा, उनको उस भूमि की घृति तथा पहुंच के प्रति लम्बे समय से चली आ रही असुरक्षा को समाप्त करने का समय आ गया है अतः

भारत के गणराज्य के 57 वे वर्ष में संसद द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो -

अध्याय 1

प्रारम्भिक

(1) संक्षिप्त नाम तथा लागू होना - (1) यह अधिनियम "अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासियों के (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006" कहलावेगा।

(2) यह अधिनियम पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर राज्य छोड़कर, लागू होगा।

(3) यह अधिनियम उस दिनांक से, जो केन्द्र सरकार राजपत्र में अधिसूचित करे, लागू होगा।

[2]नोट - यह नियम 31.12.77 से लागू हुआ है।

(2) परिभाषायें - जब तक सन्दर्भ में अन्य या आवश्यक न हो -

(a) समुदाय के वन स्रोत (Community Forest Resource) से तात्पर्य है किसी गांव की सार्वजनिक वन भूमि जो परम्परागत या रीति रिवाज के अनुसार गांव की सीमा के अन्दर स्थित है या चरवाहे जाति के मामले में वह वन वनभूमि जिसका उपयोग ऋतु अनुसार होता हो, जिसमें आरक्षित वन संरक्षित वन या सुरक्षित क्षेत्र जैसे अभ्यारण्य, या राष्ट्रीय उद्यान भी सम्मिलित है, जिस पर उनकी परम्परागत पहुँच हो।

---

1. इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति 29.12.06 को प्राप्त हुई। अधिनियम भारत शासन के राजपत्र (असाधारण) भाग-II-सेक्शन-1 दि. 2.1.07 पृष्ठ 1-9 पर प्रकाशित।

(b) वन प्राणी खतरे वाली आवासीय भूमि (Critical wild life habitat) से तात्पर्य राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के वे क्षेत्र, जिन्हें वैज्ञानिक तथा विविध उद्देश्यीय मापदण्ड से, विशिष्ट रूप से, स्पष्टतया निश्चित हो गया है कि ऐसे क्षेत्रों को वनप्राणी के संरक्षण के लिए सुरक्षित रखा जावे।

जिनके सम्बन्ध में विशेषज्ञ कमेटी (Expert Committee) की राय ली जावेगी, और जिसमें उस क्षेत्र के विशेषज्ञ भी सम्मिलित रहेंगे जिन्हें राज्य शासन नियुक्त करे, तथा एक सदस्य अनुसूचित जनजाति कार्य मन्त्रालय का प्रतिनिधि भी सम्मिलित किया जावेगा और धारा 4 के उपधारा (1) तथा (2) के अनुसार निश्चित किया जावेगा कि क्या भूमि को वन प्राणी संरक्षण हेतु सुरक्षित किया जावे। पश्चात् केन्द्र शासन, के पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित किया जावेगा।

(c) 'वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति' से तात्पर्य अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्यों से हैं जो मुख्य रूप से वन में रहते हैं और वे उनके जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर रहते हैं और जिनमें चरवाहे प्रजाति के सदस्य भी सम्मिलित हैं।

(d) वन भूमि (Forest land) में वह वन भूमि जो किसी भी परिभाषा से जानी जाती हो और वन में स्थित हो जिसमें अवर्गीकृत वन, (unclassed forest), जिसकी सीमा का निर्धारण नहीं हुआ हो ऐसे वन (undermarcated forests) या जिनको वन माना गया हो, या संरक्षित वन आरक्षित वन, अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान सम्मिलित है।

(e) वन अधिकार (Forest right) से तात्पर्य उन वन अधिकारों से है जो खण्ड 3 में दिये हैं।

(f) 'वनग्राम' वह व्यवस्थापन जो वन के अन्दर किसी राज्य के वन विभाग द्वारा वन कार्यों के सम्पादन के उद्देश्य से स्थापित किया गया हो, या जिन्हें वन के आरक्षण की प्रक्रिया में वनग्राम बनाया गया हो और जिनमें सम्मिलित है वन बन्दोबस्त ग्राम, निश्चित मांग के कब्जे (fixed demand holding) वाली भूमि सभी प्रकार के टाग्या व्यवस्थापन, चाहे जिस नाम से जाने जाते हो तथा जिसमें वह वन भूमि सम्मिलित है जिस पर राज्य शासन के खेती करने की अनुमति ही है।

(g) ग्राम सभा - से तात्पर्य गांव की वह सभा जिसमें गांव के समस्त प्रौढ सम्मिलित हो और उन राज्यों के सम्बन्ध में जहाँ पंचायत, पड़ाव, टोला और अन्य पारम्परिक ग्राम संस्था न हो वहाँ ग्रामवासियों द्वारा चयनित सभा जिसमें महिला का भाग लेना प्रतिबन्धित न हो।

(h) प्राकृतिक वास (Habitat) में वह क्षेत्र सम्मिलित है जो आरक्षित या संरक्षित वन में अविकसित जनजाति के सदस्यों का और जो कृषि कार्य के प्रारम्भ के पूर्व की जातियों की अनुसूचित जनजातियों का वासस्थान है।

(i) लघु वन उपज (Minor Forest Produce) में सम्मिलित है वृक्षों के इमारती भाग को छोड़ समस्त भाग और जिसमें बांस, झाड़ी, ठूंढ, बेत, टसर, ककून, शहद, मोम, लाख, तेन्द या केन्दू पत्ता, औषधीय पौधे, छोटे पौधे (Herb) जड़ें, गाँठ (tumer) और उस प्रकार की वस्तुए सम्मिलित हैं।

(j) नोडल एजेन्सी से तात्पर्य वह एजेन्सी है जो सेक्शन 11 में दी गई है।

(k) अधिसूचना (Notification) से तात्पर्य वह अधिसूचना है जो शासकीय राजपत्र में प्रकाशित हो।

(l) 'निर्धारित' से तात्पर्य इस अधिनियम के अन्तर्गत बने नियमों में प्रावधानित है।

(m) "अनुसूचित क्षेत्र" से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 244(1) में दिया गया क्षेत्र है।

(n) लगातार उपयोग (Sustainable use) वह वही अर्थ होगा जो बायोलोजिकल डायवर्सिटी अधिनियम 2002 की धारा 2 के क्लाज (o) में दिया है।

(o) "अन्य परम्परागत वनवासी" से तात्पर्य कोई व्यक्ति या समाज से है, जो 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व तीन पीढ़ियों से वन में रह रहा है, तथा जो वन या वन भूमि पर अपनी मूलभूत जीवन की आवश्यकताओं के लिए निर्भर है।

स्पष्टीकरण - इस खण्ड में 'पीढ़ी' से तात्पर्य है 25 वर्ष का समय

(p) गाँव से तात्पर्य है -

(i) Provision of Panchayat (extension to scheduled areas) Act 1946 की धारा 4 क्लाज (b) में दिया गया गाँव

(ii) किसी भी राज्य के पंचायत से सम्बन्धित कानून (अनुसूचित क्षेत्र को छोड़कर) में दिया गाँव

(iii) वन ग्राम, पुरानी बसाहट, या बन्दोबस्त, या बिना सर्वे किया गाँव, चाहे गाँव के रुप में अधिसूचित हुआ हो या न हुआ हो।

(iv) उन राज्यों में जहां पंचायत न हो परम्परागत गांव, चाहे जिस नाम से पुकारा जावे।

(q) "वन्य पशु" से तात्पर्य वन प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 में दिये अनुसूचि I से IV में दी प्रजाति और जो प्रकृति में जंगल में मिलती हो।

अध्याय II

वन अधिकार (Forest Rights)

(3) वन में रहने वाली अनुसूचित जनजाति, और अन्य परम्परागत वनों में निवास करने वालों के वन अधिकार -

(1) इस अधिनियम के अन्तर्गत वन भूमि पर रहने वाली अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परम्परागत वन में रहने वाले व्यक्ति या समुदाय या दोनों को निम्न वन अधिकार होंगे -

(a) वन में रहने वाली अनु. जनजाति एवं परम्परागत वन में रहने वालों को वन की भूमि को धारण करने तथा उस पर एक व्यक्ति या समुदाय के रहने या जीवन यापन के लिए उस पर स्वयं या सदस्यों द्वारा कृषि करने का अधिकार।

(b) सामुदायिक अधिकार जैसे निस्तार या जिस किसी नाम से जाने जावे, या वे अधिकार जो वे पुराने राजाओं के, जमीदारी के याअन्य अन्तरिम शासन के समय में प्राप्त कर रहे थे।

(c) ग्राम से या ग्राम के बाहर से वह लघु वन उपज, जो वे परम्परागत रूप संग्रहित करते आ रहे हैं, संग्रहण करने या उस तक पहँचने या उस पर मालिकाना अधिकार रखने उसको उपयोग में लाने का अधिकार।

(d) जंगल के अन्दर पानी के अन्दर के पदार्थ जैसे मछली या अन्य पदार्थ पर अधिकार तथा वहां के स्थापित वासियों एवं परिवहन करने वाले वन वासियों के और घुमक्कड़ और चरवाहा प्रजाति के वन में चराई अधिकार।

(e) आदिमकाल या कृषि काल के पूर्व के आदिम जाति के समूहों केा वन में रहने का अधिकार।

(f) किसी राज्य की विवादग्रस्त भूमि पर (जो राज्य में किसी नाम से जानी जाती हो) पर अधिकार।

(g) किसी राज्य सरकार या अन्य स्थानीय अधिकारी द्वारा प्रदत्त वन भूमि के पट्टे या अनुदान के द्वारा प्रदत्त अधिकार को परिवर्तन करेन का अधिकार।

(h) सभी वन ग्रामों, पुराने वन के वास स्थल, असीमा वाले गांव या वन में बसे किसी ग्राम, चाहे रिकार्ड में हो या अधिसूचित हो या नहीं, का व्यवस्थापन एवं उनको राजस्व गांव में परिवर्तन करने का अधिकार।

(i) किसी सामूदायिक वन की रक्षा करने, उसमें पुनरात्पदन करने, उसको सुरक्षित रखने या व्यवस्थापन करने का अधिकार।

(j) वे अधिकार, जो किसी राज्य के या किसी स्वायत्त क्षेत्रीय कौंसिल के कानून से या जिन्हें जनजातियों के परम्परागत या रीतिरिवाज के रूप में किसी जनजाति के लिए, किसी राज्य द्वारा स्वीकार किये गये हैं, का उपयोग करने हेतु।

(k) किसी विशिष्ट पौधे या पशु के सम्बन्ध में विशेष ज्ञान या परम्परागत ज्ञान या सांस्कृतिक ज्ञान हो उस पर पहुँच।

(l) उपरोक्त (a) से (k) तक में दिये के अतिरिक्त अन्य कोई परम्परागत या रीति रिवाज अनुसार अधिकार जो वन में वास कर रही आदिम जनजाति या अन्य परम्परागत निवासियों द्वारा उपयोग में लाया जा रहा हो, जिसमें वन में शिकार, वन्य पशु को पकड़ना, या किसी वन्य पशु का वन्य पौधे का कोई अंग निकालना सम्मिलित नहीं है।

(m) 13 दिसम्बर 2005 के पूर्व जिन अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा अन्य वनवासियों को, जिनकी वहां रहने की कानूनी पात्रता नहीं थी वन भूमि से हटाया गया, तथा भूमि का कब्जा लिया, उपको पुनः उसी स्थान पर बसाने का अधिकार।

(2) वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 (वर्ष 1980 का 69) में कोई बात होते हुए भी केन्द्र शासन उस वन भूमि को, जिसका प्रबन्ध शासन कर रहा हो और जिस पर 75 वृक्ष प्रति हेक्टयर से अधिक वृक्ष की कटाई न होना हो, को निम्न कार्यों के लिए, प्रत्यावर्तन करने की अनुमति देगी -

(a) पाठशाला
(b) अस्पताल या डिस्पेन्सरी
(c) आंगनवाड़ी
(d) उचित मूल्य की दुकान
(e) विद्युत एवं टेलीफोन लाइन
(f) तालाब या अन्य जल स्रोत
(g) पीने के पानी का प्रदाय और पानी की पाइप लाइन डालना
(h) वर्षा जल/जल संग्रहण के साधन
(i) लघु सिंचाई नहर
(j) अपरम्परागत उर्जा का स्रोत
(k) उद्योग प्रशिक्षण संस्था
(l) सड़क
(m) सामुदायिक केन्द्र

परन्तु वन भूमि का प्रत्यावर्तन में स्वीकार किया जावेगा -

(i) किसी भी कार्य हेतु वन भूमि का क्षेत्र जो प्रत्यावर्तन होना हो - एक हेक्टर से अधिक नहीं होगा।
(ii) किसी भी क्षेत्र की विकास हेतु, सफाई के पूर्व, उस गांव की गांव सभा द्वारा सिफारिश की गई हो।

अध्याय III

वन अधिकारों को मान्यता देना, उनका पुनः स्थापन, एवं अन्य सम्बन्धित विषय

(4) वन में रह रहे अनु. जनजाति के व्यक्ति एवं परम्परागत वन में निवास करने वाले व्यक्तियों के अधिकारों के मान्यता देना और उनको देना - तत्समय लागू किसी भी विधि में कोई भी प्रावधान होते हुए भी और इस अधिनियम के प्रावधान अनुसार, केन्द्र शासन निम्न अधिकारों को मान्यता देते हुए उनमें वेष्ठित करता है।

(a) राज्य के उन वन में रहने वाले अनु.जाति के सदस्यों को, जिस स्थान के आदिम जाति घोषित किये गये हैं, धारा 3 में दिये समस्त अधिकार।
(b) अन्य परम्परागत वन में निवास करने वाले व्यक्तियों को धारा-3 में दिये समस्त अधिकार।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत यदि अधिकारों की मान्यता वन प्राणी के आवास स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, या अभ्यारण्य के मध्य स्थित जनजाति के सदस्यों को वेष्ठित होते हैं तो उनको संशोधित किया जावे या उनका पुनः स्थापन किया जावे। परन्तु वन प्राणी संरक्षित क्षेत्र को अन अतिक्रर्मित क्षेत्र करने के लिए किसी भी अधिकारी प्रदत्त व्यक्ति को पुनः स्थापित या अधिकारों में परिवर्तन तब तक नहीं किया जावेगा, जब तक कि निम्न शर्तें पूरी न कर ली जावे अर्थात-

(a) धारा 6 के अन्तर्गत अधिकारों की मान्यता देने और वेष्ठित करने की प्रक्रिया, विचाराधीन स्थान के लिये पूरी न कर ली जावे।

(b) जब तक राज्य शासन के अधिकारी, वन प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्ति के आधार पर परीक्षण कर यह घोषित नहीं करते हैं कि अधिकार प्रदत्त व्यक्तियों के वहाँ रहने का प्रभाव उस स्थान में पाये जाने वाले वन्य पशु को अक्षति पूर्ति योग्य हानि पहुँचावेगा और उनका उस वास स्थान पर रहने का खतरा पैदा हो जावेगा।

(c) राज्य सरकार ने यह अन्तिम निर्णय ले लिया है कि वन्य प्राणी तथा अधिकार प्रदत्त आदिवासी का साथ रहने का कोई विकल्प शेष नहीं है।

(d) पुनः स्थापना के स्थल को तैयार कर दिया गया है और यह बता दिया गया है कि वह स्थान पुनः स्थापित व्यक्तियों एवं समुदाय को सुरक्षित जीवन यापन का साधन देगा और उनको सम्बन्धित अधिनियम तथा केन्द्र शासन की नीति अनुसार सुविधाये देने हेतु सक्षम है।

(e) इस बसाहट और उसको दिये अधिकारों के विषय में उस क्षेत्र की ग्राम सभा को जानकारी देकर उनकी लिखित सहमति प्राप्त कर ली गई है।

(f) नये स्थल पर बसाहट तब तक नहीं की जावेगी जब तक स्थल पर भूमि का आबंटन एवं उनको प्रदत्त सुविधा की व्यवस्था पूर्ण न कर ली हो परन्तु यह भी वनप्राणी संरक्षित स्थल से वन प्राणियों के संरक्षण हेतु अधिकार प्रदत्त हटाये व्यक्तियों को नये स्थल से किसी भी राज्य शासन या केन्द्र शासन की किसी योजना के अन्तर्गत पुनः नहीं हटाया जावेगा।

(3) वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति तथा अन्य वन में परम्परागत रहने वाले व्यक्तियों को किसी राज्य या संघ शासित प्रदेश में वन में अधिकारों को मान्य करना तथा वेष्ठित करना इसी शर्त के अध्याधीन है कि उन्होंने 13 दिसम्बर 2005 को वन भूमि पर कब्जा कर लिया था।

(4) उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार उत्तराधिकाराधीन है लेकिन हस्तान्तरणीय या अन्य सक्रमणीय नहीं है। यह अधिकार शादीशुदा व्यक्ति के मामले में पति तथा पत्नि के नाम पर और अकेले व्यक्ति के मामले में व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत किया जावेगा तथा उत्तराधिकारी को हस्तान्तरित हो जावेगा तथा यदि सीधे उत्तराधिकारी न हो तो अगले नए रिश्तेदार को स्थानान्तरित होगा।

(5) वन में रहने वाले किसी अनु.जनजाति या अन्य पराम्परागत वन में रहने वाले व्यक्तियों वन भूमि से बेदखल या उसे वन से इस नियमों के प्रावधान के अतिरिक्त भगाया नहीं जावेगा जब तक अधिकारों की मान्यता तथा उसका सत्यापन पूरा न हो जावे।

(6) जब वन के अधिकारों को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन उपधारा (a) की वनभूमि पर मान्यता दी जावे और उन्हें वेष्ठित किया जावे तब वह भूमि उस व्यक्ति या परिवार या समुदाय के कब्जे में, इस अधिनियम के लागू होने के दिनांक से रहेगी, और यह अधिकार केवल उतनी ही भूमि पर या अधिकतम 4 हेक्टयर तक सीमित रहेगी। जिस पर उनका कब्जा था।

(7) ये वन के अधिकार सभी विलंगमों से रहित तथा किसी प्रक्रिया के बिना प्रदाय किये जावेंगे। जिसमें वनों की सफाई पर, वन (संरक्षण) अधिनियम 180 के अन्तर्गत, अनुमति सम्मिलित रहेगी लेकिन भूमि धारी को भूमि का 'आज का शुद्ध मूल्य' तथा वन भूमि के परिवर्तन के कारण 'प्रतिकरात्मक वन रोपण' का व्यय का भुगतान करना होगा।

(8) इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकारों की मान्यता तथा प्रदाय उन अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा परम्परागत वन में रहने वाले व्यक्तियों को भी देय होंगे, जो यह प्रमाणित कर सकें कि वे अपने स्थान से तथा कृषि भूमि से, राज्य के विकास कार्यों के लिये भूमि की आवश्यकता के कारण बेदखल किये गये तथा उन्हें कोई अन्य भूमि नहीं दी गई है, लेकिन वह भूमि जिस पर से उन्हें हटाया गया है, उनको हटाने के 5 वर्ष बाद भी कोई कार्य जिस हेतु अधिग्रहण की गई, नहीं हुआ है।

धारा 5. वन अधिकारों के धारकों के कर्त्तव्य - वन अधिकारों के धारक, तथा उस गांव जिसके रहवासियों को इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार दिये गये हैं, की ग्राम सभा, तथा अन्य गांव की संस्थाओं को निम्न अधिकार दिये जाते हैं -

(a) वन प्राणी, वन, तथा वन के विशिष्ट पौधे या वन पशु की सुरक्षा करना

(b) क्षेत्र के जलग्रहण क्षेत्र, जल स्रोत और अन्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करना।

(c) वन में रह रहे अनु.जनजाति के एवं अन्य परम्परागत वनवासियों के आसपास के पर्यावरण पर कोई विनाशकारी कार्य न हो जो उनके सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत पर प्रभाव डाले, यह सुनिश्चित करें।

(d) यह सुनिश्चित किया जावे कि ग्राम सभा द्वारा वनों में पहुँच सम्बन्धी निर्णय लिये जावे वे वन प्राणी, वन, वन के विशिष्ट पौधे या पशु पर विपरीत प्रभाव न डाले।

अध्याय IV

वन अधिकारों को प्रदाय करने की प्रक्रिया और अधिकारी

धारा 6. वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्य तथा अन्य व्यक्तियों को वन के अधिकार देने वाले अधिकारी और अधिकार देने की प्रक्रिया - वन में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के सदस्यों तथा परम्परागत वन में रहने वाले अन्य व्यक्तियों (एकल या सामूदायिक) वन को अधिकारों की प्रकृति (Nature) तथा सीमा को निश्चत करने की प्रक्रिया उस ग्राम सभा द्वारा, जिसकी सीमा में वह वनक्षेत्र आता है प्रारम्भ की जावेगी। ग्राम सभा इस अधिनियम के अन्तर्गत दावों को प्राप्त करेगी, उसको संकलित करेगी उनकी जांच करेगी तथा वह प्रत्येक व्यक्ति को जिस क्षेत्र पर अधिकार देने की सिफारिश करेगी उसको मानचित्र में प्रदर्शित करेगी। तथा यह रीति निर्धारित करेगी जो जिससे वह अधिकार का उपयोग हो। इसे पश्चात् एक प्रस्ताव पारित करेगी और प्रस्ताव की एक प्रति उप मण्डलीय कमेटी को भेजेगी।

(2) यदि कोई व्यक्ति ग्राम सभा के प्रस्ताव से व्यथित हो तो वह प्रस्ताव के विरुद्ध उपधारा (3) के अन्तर्गत गठित सबडिवीजनल लेबल कमेटी को आवेदन प्रस्तुत करेगी। सबडिवीजनल कमेटी उस पर विचार करेगी तथा आवेदन का निराकरण करेगी।

परन्तु ऐसा आवेदन, ग्रामसभा द्वारा प्रस्ताव पारित करने के 60 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा। परन्तु ऐसा कोई भी आवेदन, व्यथित आवेदक के विरुद्ध तब तक नहीं निराकृत किया जावेगा जब तक उसको अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जावे।

(3) राज्य सरकार सबडिवीजनल लेवल कमेटी गठित करेगी जो ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर विचार करेगी, और वन अधिकारों का रिकार्ड तैयार करेगी और उनको सबडिबीजनल आफिसर के माध्यम से डिवीजल लेवल कमेटी का अग्रेषित करेगी।

(4) ऐसा व्यक्ति, जो सब डिवीजनल लेवल कमेटी के निर्णय से व्यथित हो, वह उसके निर्णय के विरुद्ध, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को, सबडिवीजनल लेबल कमेटी के निर्णय के दिनांक से, 60 दिन के अन्दर आवेदन कर सकेगा तथा डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी उस पर विचार कर उसका निराकरण करेगा।

परन्तु कोई भी आवेदन, ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के पश्चात्, सीधे डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा, जब तक वह सब डिवीजनल लेवल कमेटी को प्रस्तुत नहीं किया जावे। और उसका निर्णय न हो जावे।

परन्तु यह और भी कि किसी भी आवेदन का निराकरण आवेदक के विरुद्ध तब तक नहीं किया जावेगा, तब तक आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर न दिया जावे।

(5) राज्य सरकार एक डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी गठित करेगी जो सब डिवीजनल लेवल कमेटी द्वारा तैयार किये वन अधिकारों के अभिलेख पर विचार करेगी और अन्तिम रूप से स्वीकार करेगी।

(6) इस प्रकार डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का वन अधिकरों के अभिलेख के सम्बन्ध में लिया निर्णय अन्तिम और बाध्यकारी होगा।

(7) राज्य सरकार, राज्य स्तर पर, एक स्टेट लेबल मानिटरिंग कमेटी गठित करेगी, तो वन अधिकरों की मान्यता देने तथा प्रदान करने की प्रक्रिया पर निगरानी रखेगी और नोडल एजेन्सी द्वारा मांगी गई रिपोर्ट या रिटर्न प्रस्तुत करेगी।

(8) सब डिवीजनल लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तथा स्टेट लेवल मानिटरिंग कमेटी में राजस्व, वन तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी रहेंगे। तथा तीन सदस्य, उचित स्तर के, पंचायती राज्य संस्था द्वारा नियुक्त किये जावेंगे जिनमें दो अनुसूचित जनजाति के तथा एक महिला सदस्य होगी।

(9) सब डिवीजनल लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और राज्य स्तरीय मानिटरिंग कमेटी की संरचना और उसके कार्य करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया वह होगी जो निर्धारित की जावे।

अध्याय V

अपराध एवं दण्ड

धारा 7. इस अधिनियम के अन्तर्गत सदस्य, या अधिकारी, और प्राधिकारी और कमेटी द्वारा अपराध - जब कोई प्राधिकारी या कमेटी या अधिकारी या सदस्य, इस अधिनियम के किसी प्रावधान या इसके अन्तर्गत बने नियमों के प्रावधानों का, अधिकरों की मान्यता देने में उल्लंघन करता है तब वह इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी माना जावेगा और उसके विरुद्ध न्यायालय में कार्यवाही हो सकेगी और वह एक हजार रुपये तक दण्ड का भागी होगा।

परन्तु प्राधिकारी का कोई भी सदस्य, या कमेटी या विभाग प्रमुख या और कोई व्यक्ति जो इस धारा में सन्दर्भित किया गया है और दण्ड का भागी है, को कोई दण्ड नहीं दिया जावेगा यदि वह यह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना हुआ है और उसने ऐसा अपराध को न होने देने के लिए तत्परतापूर्वक समस्त आवश्यक कार्यवाही की थी।

धारा 8. अपराध का संज्ञान - कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम की धारा 7 के अन्दर, अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक वन में रहने वाला अनूसूचित जनजाति का सदस्य, ग्राम सभा के प्रस्ताव या ग्राम सभा के किसी उच्च अधिकारी के विरुद्ध प्रस्ताव के विरुद्ध राज्य मानिटरिंग कमेटी को 60 दिन की अवधि का नोटिस नहीं देता है, और राज्य मानिटरिंग कमेटी ने उसे विरुद्ध कार्यवाही नहीं की है।

अध्याय VI

विविध

धारा 9. प्राधिकारी के सदस्य आदि लोक सेवक होंगे - अध्याय IV में सन्दर्भित प्राधिकारियों के सदस्य और अन्य अधिकारी जिन्हें इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकार प्रत्यायोजित किये हैं, वे भारतीय दण्ड संहित 1860 की धारा 21 के अन्तर्गत लोकसेवक होंगे।

धारा 10. सदभाव से किये कार्यों के लिए सुरक्षा - (1) इस अधिनियम के अन्तर्गत सदभावपूर्वक किये गये या सदभावपूर्वक किये जाने के इरादे से किये किसी कार्य के लिए केन्द्रशासन या राज्य शासन के कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद, कार्यवाही या अन्य कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम के अन्तर्गत सदभावपूर्वक किये गये या सदभावपूर्वक किये जाने के इरादे से किये कार्य से हुई कोई क्षति या संभावित क्षति के विरुद्ध केन्द्र शासन, राज्य शासन या उसके कोई अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कोई कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत सदभावपूर्वक किये गये या सदभावपूर्वक किये जाने से किये गये किसी कार्य के विरुद्ध अध्याय IX के अन्तर्गत गठित किसी प्राधिकारी, अध्यक्ष, सदस्य, सदस्य सचिव एवं अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कोई वाद या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

धारा 11. नोडल एजेन्सी - केन्द्रशासन का वह मन्त्रालय, जो अनुसूचित जनजाति सम्बन्धी कार्य देखता है या कोई अधिकारी कोई प्राधिकारी जिसे केन्द्रशासन द्वारा इस हेतु प्राधिकृत किया जावे वह इस अधिनियम के प्रावधान लागू करने हेतु नोडल एजेन्सी होगी।

धारा 12. केन्द्र शासन के निर्देश देने के अधिकार - इस अधिनियम के अन्तर्गत अपना कर्त्तव्य पालन करने तथा इसके द्वारा या इसके अन्तर्गत अधिकार का उपयोग करने हेतु, अध्याय IV के अन्तर्गत सन्दर्भित प्राधिकारी, केन्द्र शासन के लिखित आदेशों का, जो समय समय पर जारी किये जावे, के अध्याधीन कार्य करेंगे।

धारा 13. इस अधिनियम के कार्य अन्य कानूनों का अल्पीकरण नहीं करेंगे - इस अधिनियम तथा पंचायत अधिनियम 1996 में अन्यथा प्रावधानित के अतिरिक्त इस अधिनियम के प्रावधान, अन्य कानूनों के, जो उस समय लागू हो, के सहायक होंगे और उनका अल्पीकरण नहीं होंगे।

धारा 14. नियम बनाने की शक्ति - (1) केन्द्रशासन, अधिसूचना जारी कर, तथा इसको लागू करने के पूर्व प्रकाशन कर, इस अधिनियम के प्रावधान लागू करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशेष रूप में तथा पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम, समस्त या निम्न में से किसी विषय को उपबंधित करेंगे।

(a) धारा 6 में निर्धारित प्रक्रिया तथा उसको लागू करने की प्रक्रिया का ब्योरा।

(b) अधिनियम के नियम (6) के उपनियम (1) के अन्तर्गत दावे प्राप्त करने, उनको संकलत करने, उसका सत्यापन करने और सिफारिश किये दावे के क्षेत्र को वन अधिकारों का उपभोग करने हेतु मानचित्र में अंकित करने तथा सब डिवीजनल कमेटी को धारा 6 उपनियम (2) के अन्तर्गत आवेदन देने की प्रक्रिया निर्धारित करना।

(c) धारा 6 उपनियम 8 के अन्तर्गत सब डिवीजनल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तथा स्टेट लेवल मानिटरिंग कमेटी में राजस्व, वन, आदिम जाति विभाग के किस स्तर के अधिकारियों को सदस्य नियुक्त करने विषयक।

(d) सब डिवीजनल लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और स्टेट लेवल मानिटरिंग कमेटी की संरचना और उनके धारा (6) उपधारा (9) के अन्तर्गत कत्तव्य और उनके कत्तव्य पालन की प्रक्रिया।

(e) अन्य कोई विषय जिसको करने की आवश्यकता है, तो आवश्यकता हो, के विषय में प्रक्रिया।

(3) इस अधिनियम के अन्तर्गत कन्द्रशासन द्वारा बनाया कोई नियम, उसको बनाने के पश्चात् यथा सम्भव शीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन में, जब वह 30 दिन का अधिवेशन एक साथ होया 2 या 3 लगातार सेशन में हो, प्रस्तुत किया जावेगा तथा अधिवेशन की समाप्ति के पूर्व दोनों सदन इसमें कोई संशोधन करना चाहे या और यदि दोनों सदन की राय हो कि यह नियम नहीं बने तब तक नियम संशोधित रूप से लागू होगा या नहीं होगा ओर इसके पूर्व किये कार्यों की विधि मान्यता प्रभावित नहीं होगी।